न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 25/2011

सायल	बनाम	गैरसायल
जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर		शोभसिंह पुत्र देरावरसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर पुलिस थाना सदर बाड़मेर

परिवाद अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

उपस्थितः– 1. श्री दौलतराम, अभियोजन अधिकारी सायल की ओर से।
2. श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 27.08.2019

1. सायल की ओर से दिनांक 30.09.2010 को गैर सायल शोभसिंह पुत्र देरावरसिंह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर पुलिस थाना सदर बाड़मेर के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अर्न्तगत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल बदमाश प्रवृति का तस्कर व्यक्ति है जो अवैध शराब विक्रय करने का आदि है। इसने यह काम व्यवसाय के रूप में अपना रखा है। गैर सायल के उक्त कृत्य से गरीब तबके के ग्रामीणों में स्वास्थ्य व गम्भीर विपरित असर पड़ रहा है। गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2(आ) में परिभाषित श्रेणी में आता चुका है, जिसे राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत तीन बार दोषी ठहराया जा चुका हैं। इसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के बावजूद भी चोरी छिपे शराब बेचने के कार्य पर पूर्णतया अंकुश नहीं लग पाया है है, इसके विरूद्ध निम्न मुकदमे दर्ज होकर निस्तारित हुए है–

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

(1) मुकदमा नम्बर 149 दिनांक 28.06.2001 धारा 16/54 पुलिस थाना सदर बाड़मेर में चालान पेश किया गया। दिनांक 02.04.2003 को न्यायालय द्वारा सजा से दण्डित किया गया।

(2) मुकदमा नम्बर 26 दिनांक 11.02.2002 धारा 16/54 पुलिस थाना सदर बाड़मेर में चालान पेश किया गया। दिनांक 17.07.2004 को न्यायालय द्वारा सजा से दण्डित किया गया।

(3) मुकदमा नम्बर 19 दिनांक 07.06.1999 धारा 16/54 पुलिस थाना सदर बाड़मेर में चालान पेश किया गया। दिनांक 08.04.2003 को न्यायालय द्वारा सजा से दण्डित किया गया।

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को बाड़मेर जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का निवेदन किया।

2. हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर,गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया। गैर सायल ने दिनांक 08.03.2011 को नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं है तथा न ही किसी गिरोह के मुखिया के रूप मे अपराध करने का अभ्यस्त हैं। गैर सालय ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जो भादसं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हों। गैर सायल अपने क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनसे जन साधारण मे कोई भय या आंतक नही हैं। सायल की ओर से परिवाद मे उल्लिखित झूठे मुकदमे पुलिस द्वारा दर्ज किये गये थे जो उनका फैसला गैर सायल के पक्ष मे हुआ हैं। इस प्रकार गैर सायल की कोई भी गतिविधि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) की उप धारा 7 व 8 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। अतः गैर सायल के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जाए।

3. गैर सायल द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने पर हमने दोनो पक्षों को अपनी अपनी शहादत पेश करने के आदेश दिये। सायल की ओर से परिवाद के समर्थन में श्री देवाराम थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी एंव मनोहरराम कानि पुलिस थाना

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

गुड़ामालानी के बयान करवाए गए व सम्बन्धित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाए गए। गैरसायल स्वयम् ने अपनी साक्ष्य लेख्बद्ध करवायी।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी एंव न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान अभियोजन अधिकारी बाड़मेर का यह तर्क है कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम के 03 अपराध दर्ज हुए है जिसमें दो मुकदमो में न्यायालय द्वारा जुर्म धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है मगर दोनो मुकदमों में न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया गया है। सायल पक्ष के साक्ष्य हेतु बार–बार तलब किये जाने के बावजूद परिवाद की ताईद हेतु साक्ष्य सूचि मे अंकित कोई गवाह उपस्थित नही आया हैं।

5. अभियोजन अधिकारी के तर्को का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता गैर सायल का तर्क है कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायलके विरूद्ध 03 मुकदमे बताये गये है जिसमें दो प्रकरण धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के बताये गये है जिसमें गैर सायल द्वारा लोक अदालत की भावना से स्वीकार कर फैसल कराये गये है। गैर सायल को सजा से दण्डित नहीं किया गया है। न्यायालय द्वारा दोनो मुकदमों में सजा के प्रश्न पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया गया है, जो सजा की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा कोई प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के तहत बाड़मेर या इसके बाहर किसी भी थाना में दर्ज नही हुआ हैं और न ही गैर सायल को दोषी ठहराया गया हैं। इसलिये गैर सायल के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जाए।

6. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि गैर सायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का आरोप है राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2 के खण्ड (आ) के अनुसार राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अधीन कम से कम दो बार सिद्ध दोष ठहराया जाने पर एंव इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर

दोषी पाया गया हो तो ही उक्त अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत परिवाद अनुसार गैर सायल के विरूद्ध 03 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश किये गये है जिसमें सीआर नम्बर 26/02 व 19/99 में जुर्म धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर एंव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर में दर्ज फौजदारी मुकदमा संख्या 1078/02 व 313/02 में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2003 एंव 17.07.2004 में सजा के प्रश्न पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध करार दिया जाकर उसे तुरन्त सजा से दण्डित करने की बजाय परिवीक्षा अधिनियमकी धारा 4(1)के तहत लाभ दिया जाकर बन्ध पत्र एंव जमानतनामा पर दो वर्ष तक नेक चालचलनी व सदाचारी बनाये रखने का तथा आपराधिक गतिविधियो में लिप्त नहीं रहने एंव अपराध की पुनरावृति नहीं करने का निर्णय पारित किया गयाहै। सायल की ओर से गैर सायल के विरूद्ध वर्ष 2004 के बाद आबकारी एंव अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर गैर सायल के विरूद्ध आरोपित, आरोप अधिनियम धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) में वर्णित दो स्थितियां विधमान होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासित किये जाने का कोई सबूत प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस धारा 3(1) खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमा शर्मा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
बाड़मेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
(ए.डी.एम.)बाड़मेर